न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/ न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर, हापुड़।

पीठासीन अधिकारी–श्रीमती पारूल कुमारी, उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा, (यू.पी.03546)

पंजीकरण संख्या–105/2026

प्रार्थनापत्र संख्या–73/2026

मुस्तफा बनाम औसामा आदि

धारा– 173(4)बी.एन.एस.एस.

थाना–गढ़मुक्तेश्वर, जनपद हापुड़।

दिनांक–04.07.2026

प्रार्थी द्वारा प्रार्थनापत्र अं०धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थनापत्र अं०धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. पर पूर्व नियत दिनांक पर सुना जा चुका है। प्रार्थनापत्र अं०धारा 173(4) बी.एन.एस.एस.आदेशार्थ हेतु नियत है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. में कथन किया गया है कि प्रार्थी ग्राम पौपाई थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़ का निवासी है। प्रार्थी के गांव में औसामा, इकरार, आजाद पुत्रगण नन्हे, मनतशा पुत्री नन्हे, उजमा, रूक्किया पुत्रीगण अबरार रहते हैं जो प्रार्थी से रंजिश मानते है और आये दिन मारपीट तथा झगड़ा फसाद करते रहते हैं। प्रार्थी ने दिनांक 23. 06.2026 को 65000 हजार रूपये की भैसं बेची थी जिसके पैसे प्रार्थी की जेब में थें, दिनांक 24.06.2026 को शाम करीब 7 बजे प्रार्थी अपने मकान के निर्माण और निर्माण सामान एवं मिस्त्री को देने के लिये घर से जाने वाला था तभी उक्त लोग हाथो में अवैध हथियार व लाठी डन्डे लेकर प्रार्थी के घर में घुस आये और गाली गलौच करने लगे, प्रार्थी ने गाली गलौच करने से मना किया तो विपक्षीगण ने धारदार हथियार व लाठी डन्डो से मारपीट करने लगे प्रार्थी की जेब में रखे पैसे छीना झपटी और मारपीट में गिर गयें और विपक्षीगण ने मारपीट करतें हुये चादीं की चैन जों प्रार्थी के गलें में थी वो भी झपट ली, प्रार्थी ने शोर मचाया तो प्रार्थी की मां बुन्दो आयी तो उपरोक्त लोगो ने उन्हे भी मारपीट करके गम्भीर रूप से घायल कर दिया। प्रार्थी और उसकी मां के शोर मचाने पर आसपास के काफी लोग आ गये जिन्होंने बचाया वरना उक्त लोगो जान से मार देते। प्रार्थी ने 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी, मौके पर 112 नम्बर पर पुलिस पुहंच गयी थी, प्रार्थी की मां की हालत ज्यादा गम्भीर थी जिन्हे मेरठ मैडिकल के लिये रैफर कर दिया। प्रार्थी ने पुलिस के उच्चाधिकारीयों को भी दिनांक 29.06.2026 को रजिस्टर्ड प्रार्थना पत्र प्रेशित किये लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नही हुई है।

प्रार्थी द्वारा अपने कथानक के समर्थन में एक किता शिकायती प्रार्थनापत्र थानाध्यक्ष, गढ़मुक्तेश्वर दिनांकित 29.06.2026, एक किता शिकायती प्रार्थनापत्र एस.पी. महोदय जनपद हापुड़ मय रजिस्ट्री रसीद दिनांकित 29.06.2026 व एक किता छायाप्रति प्रार्थी के आधार कार्ड आदि प्रपत्र दाखिल किये गये हैं।

प्रार्थना पत्र के संबंध में संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी। थाने की आख्यानुसार थाना हाजा पर उक्त प्रार्थनापत्र के संबंध में कोई अभियोग पंजीकृत नहीं है।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

उक्त प्रार्थनापत्र धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. के निस्तारण के लिए न्यायालय को सर्वप्रथम यह देखना होता है कि प्रार्थनापत्र में विपक्षीगण पर जो आरोप लगाये गये हैं, उनके आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय मामला पाया जाता है अथवा नहीं।

प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों से प्रार्थी ने विपक्षीगण के विरूद्ध जो कथन किये हैं, उनके संबंध में प्रार्थी स्वयं ही अपना साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है और अपने मामले को साबित कर सकता है तथा प्रार्थी को घटना के समस्त तथ्यों की जानकारी है, जिनकी पुलिस द्वारा किसी तथ्य अन्वेषण की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की खण्डपीठ द्वारा ***सुखवासी बनाम उ०प्र० राज्य 2007(59) ए.सी.सी. पृष्ठ 739*** तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***जोसेफ माथूरी तथा अन्य बनाम स्वामी सच्चिदानन्द 2001 (सप्लीमेंटरी) ए.सी.सी. 957*** में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर न्यायालय के मत में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. परिवाद के रूप में पंजीकृत किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी.एन.एस.एस. **परिवाद के रूप में दर्ज किया जाता है।** पत्रावली वास्ते बयान परिवाद अंतर्गत धारा **223 बी.एन.एस.एस.** दिनांक **20.07.2026** को पेश हो। विपक्षीगण को नोटिस जारी हो।

(पारूल कुमारी)
सिविल जज (जू०डि०)/
न्यायिक मजिस्ट्रेट, गढ़मुक्तेश्वर हापुड़।

Digitally signed by PARUL KUMARI
Date: 2026.07.24 16:12:03 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court